परिशिष्ट 2

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 121

(घ) किसी नहर, जलाशय या भवन से 50 मीटर के भीतर;

(ङ) राजकीय राजमार्ग के किनारों से 50 मीटर तथा अन्य ग्रामीण सड़क के किनारों से 10 मीटर के भीतर;

(च) कोई भी क्षेत्र, जो कि बाढ़ नियंत्रण हेतु निर्मित किए गए हैं, से निर्धारित दूरी के भीतर;

(छ) सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थल से 200 मीटर अथवा अधिनियम/नियम में यथा उपबंधित दूरी के भीतर;

(ज) ऐसे क्षेत्र, जो कलक्टर द्वारा पर्यावरणीय या अन्य कारणों से प्रतिषिद्ध घोषित किए गए हैं :

परन्तु अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा के भीतर अनुज्ञा दिए जाने पर संबंधित प्रशासकीय विभाग से अनापत्ति/सहमति प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जा सकेगा ।

(6) नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों से मशीनों द्वारा रेत खनन, लदान (लोडिंग) तथा भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अन्य नदियों में स्थित 5.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की खदानों में से रेत खनन, लदान (लोडिंग) तथा भण्डारण स्थानीय श्रमिकों की समिति से कराया जाएगा तथा 5.00 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों में रेत खनन, लदान (लोडिंग) तथा भण्डारण के कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य नदियों में रेत खनन के लिए मशीनों के उपयोग की अनुज्ञा आवश्यकता तथा खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति में प्राप्त मंजूरी के आधार पर दी जा सकेगी।

4.छूट-(1) पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी । पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी :

परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार के द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुँओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घनमीटर रेत का उपयोग किया जा सकेगा।

(3) अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या ऐसे समूह की सहकारी समिति के सदस्य, जो परम्परागत साधनों से बर्तन, टाइल्स तथा ईंट बनाने में लगे हुए हैं, रायल्टी/ प्रशासकीय प्रभार का भुगतान किए बिना ग्राम सभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्रों से रेत प्राप्त कर सकेंगे।

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग